FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

सांवर लाल पुत्र श्री भूरा तेली बनाम भैरू पुत्र रामा तेली

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र नं. 46 सन् 2025

GCMS No. 2025/60

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
4/6/25	~~वादपत्र~~/प्रार्थना पत्र बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया जाकर ~~वादपत्र~~/प्रार्थना पत्र की नकलें प्रतिवादीगण/विपक्षीगण को जरिये सम्मन मार्फत डाक वास्ते तामील व जवाब पेश किये जाने हेतु भेजी जावे। पत्रावली दिनांक 14/7/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जिला भीलवाड़ा)	
14/07/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल लौटे है किन्तु बावजूद सम्मन तामिल के कोई भी उपस्थित नहीं है। P.O. पर अन्य कार्य में व्यस्त है अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही के आगामी दिनांक 12/08/25 को पेश हो। P.O.	
12/08/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न जमाबंदी को देखा गया। पत्रावली हेतु प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है किन्तु प्रार्थना पत्र केवल एक ही खातेदार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। न ही अन्य खातेदार को पक्षकार के रूप में योजित किया गया है। आराजियात का बंटवारा नहीं हुआ है एवं भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि होने से सभी खातेदारान की सहमति पत्रावली करने हेतु आवश्यक है। अतः पक्षकार के संयोजन की त्रुटि होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझता हूँ। अतः प्रकरण में पक्षकार असंयोजन की त्रुटि होने से प्रकरण खारिज किया जाता है। पत्रावली के मद्देनजर होकर बाद दाखिल नम्बर के कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला-भीलवाड़ा (राज.)